राजस्थान सरकार

राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई–डीपीआईपी

तृतीय तल,बी ब्लाक,योजना भवन सी स्कीम जयपुर,दूरभास–2226175 फैक्स–5104014

प. 3(9) ग्रा.वि / डीपीआईपी / पीए / 2005 जयपुर,दिनांक 25.03.2006

जिला परियोजना प्रबंधक
जिला परियोजना प्रबंधन इकाई
बारा, चुरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड, राजसमंद एवं टोंक ।

विषयः–समान रूचि समूह के लिए राज्य के बाहर पशु क्रय करने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पशुपालन विभाग ने अपने पत्र क्रमांक एफ. वी1(27) / योजना / 95 / 3513–18 दिनांक 24.12.05 के द्वारा उप निदेशक को पशुपालन विभाग में कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारियों को समान रूचि समूह के लिए पशु क्रय करने एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने में जिला परियोजना अधिकारी को सहायता प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

डीपीआईपी की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 27.02.06 को हुई सातवीं बैठक के निर्णयों की अनुपालना में समान रूचि समूह राज्य से बाहर पशु क्रय करने के लिये जिस पशु चिकित्सक की सेवाऐं लेना चाहता हैं, उसको 7 दिवस में लिखित में अग्रिम सूचना भिजवा देवें एवं सूचना की एक प्रति जिला पशुपालन अधिकारी, जिला परियोजना प्रबन्धक एवं जिला कलक्टर को भी दी जावे । यदि पशु चिकित्सक पशु क्रय करने के लिए अपनी सहमति नहीं देता है अथवा न ही समूह के साथ पशु क्रय करने के लिए जाता है तो, गैर सरकारी संस्था के पशु विशेषज्ञ को जिला कलक्टर की लिखित अनुमति से पशु क्रय करने के लिये आर.सी.डी.एफ अथवा पशु पालन विभाग के स्थान पर भिजवाया जा सकता है । पशु क्रय किये जाने हेतु गैर सरकारी संस्था के पशु चिकित्सक / पशु विशेषज्ञ को अधिकृत किये जाने के उक्त आदेश का प्रारूप अ संलग्न है।

संलग्न : प्रारूप अ

(अभय कुमार)
राज्य परियोजना निदेशक